"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 जून 2005—आषाढ़ 9, शक 1927

गृह विभाग

(सी- अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4/530/गृह-सी/2005.—चूंकि राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्वों के, सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रयास डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए, सक्रिय हो जाने की संभावना है.

और चूंकि जिला दण्डाधिकारी महासमुंद की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का, यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 ए 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला दण्डाधिकारी महासमुंद को उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 1 जुलाई 2005 से 30 सितम्बर 2005 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

Raipur, the 30th June 2005

NOTIFICATION

F No. 4/530/Home-C/2004.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and to commit any act prejudicial to the maintenance of public order, and to commit acts prejudicial to the security of the State.

And whereas, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Mahasamund the State Government is satisfied that it is necessary to do so.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the provision to sub-section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Mahasamund may during the period from 1st July, 2005 to 30th September, 2005, if satisfied as provided in sub-section (2) of the said section, exercise the power conferred by sub-section (2) of the said section 3.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.